HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: JABALPUR

Endorsement No. (1.44%)

Jabalpur, dated 2/302/2025

Copy of the Notification(s) of the Government of M.P. F. No. 2730/21-B(1)/2025/2731/21-B(1)/2025; Bhopal dated 27.06.2025, issued in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Commercial Courts Act; 2015, is forwarded to;

- 1. The Registrar cum PPS of Honourable Chief Justice for kind information of His Lordship;
- 2. The Registrar General, the Principal Registrar (Judicial), the Principal Registrar (Vigilance) and the Principal Registrar (Examination & ILR) High Court of Madhya Pradesh Jabalpur for information and necessary action;
- 3. The Principal District and Sessions Judges, all in the State for information and necessary action. The Principal District and Sessions Judge; Indore for information and necessary action with request that the notification may kindly brought to the knowledge of the concerned Judge also;
- 4. District Judge, (Inspection), Jabalpur, Indore and Gwalior for information and necessary action;
- 5. The Principal Registrar, Bench at Indore and Gwalior High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur for information;
- 6. The Director, Madhya Pradesh State Judicial Academy, Jabalpur for information;
- 7. Member Secretary, Madhya Pradesh State Legal Services Authority, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur for information;
- 8. Registrar (Judicial-I), (Judicial-II), (Administration), (Vigilance), (Inspection & Litigation), (Examination and Labour Judiciary) for information;

9. The Registrar Confidential and the Administrative Officer, Checker Section, High Court of M.P., Jabalpur for information.

MUKÉSH RAWAT REGISTRAR District Establishment

<u>मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग</u> <u>अधिसूचना</u>

भोपाल, दिनांक 27/06/2025

फा० क्रट क्रिंग्डिंग्21-ब(एक) /2025- कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, 2015 (2016 का 4) की धारा 3 द्वारा प्रदल्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, 2015 (2016 का 4) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (2) के अधीन जारी इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 17(ई)-17-2016/इक्कीस-ब(एक)-1888/2019, दिनांक 02 अप्रैल, 2019, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 दिनांक 12 अप्रैल, 2019 में प्रकाशित की गई थी, के आलोक में, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या (3) में दर्शित जिला न्यायाधीश स्तर पर, न्यायिक अधिकारी को उनके कॉलम (2) में दर्शित जिले के लिये एवं उसके अंतर्गत आने वाले जिलों के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) के अधीन न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है, अर्थात्:-

सारणी

अनु.क्र.	जिला	जिला न्यायाधीश स्तर
(1)	(2)	(3)
"4.	ग्वालियर	श्री प्रशांत शुक्ला, बीसवें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर
5.	रीवा	श्री शरद कुमार गुप्ता (जूनियर) सप्तम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रीवा

F.No. 2398/XXI-B(1)/2025- In exercise of the powers conferred by section 3 of Commercial Courts Act 2015 (No. 4 of 2016) and in light of this department's Notification F.No.17(E)/17/2016-XXI-B (1)/1888/2019 dated 02th April, 2019 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 12th April, 2019 issued under sub-section (1) and (2) of section 3 of the Commercial Courts Act, 2015 (4 of 2016), the State Government, with the concurrence of Hon'ble the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh hereby appoints the Judicial Officer at District Judge Level shown in column number (3) of the table below for the district shown in column number (2) thereof and district falling under it to be a Judge under **sub-section (3) of 3** of said Act, namely:-

AR(checker)

Res. (DE)

Res. (DE)

2.....

TABLE

S.No.	District	Judge-District Judge Level
(1)	(2)	(3)
"4.	Gwalior	Shri Prashant Shukla, XX th District and Additional
	0000 00 00 000 000 00	Sessions Judge, Gwalior
5.	Rewa	Shri Sharad Kumar Gupta (Jr.), VII District and
,		Additional Sessions Judge, Rewa.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(नरेन्द्र प्रताप सिंह) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पृ० क्र० **२७ ३०**/२१ - ब(एक) /२०२५ प्रतिलिपि:- भोपाल,दिनांक 27/06/2025

- रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के पत्र क्रमांक C/3063/II-4-1/2010, दिनांक 25.04.2025 के संदर्भ में,
- 2. प्रमुख सचिव, म० प्र० शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
- 3. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर एवं रीवा (म०प्र०) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु,
- अगामी अंक में प्रकाशनार्थ) प्रेषित।
 - 5. शाखा प्रभारी, आय0 टी0 शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड करने बाबत प्रेषित।

र (अनिल कुमार पाठक)

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 27/06 /2025

फा० क्र० 2730/21-ब(एक) /2025- कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, 2015 (2016 का 4) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद् द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा.क्र17(ई)17-2016-इक्कीस-ब(एक)-2311-2019,दिनांक 05 मई, 2019, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1, दिनांक 17 मई, 2019 में प्रकाशित की गई थी, के आलोक में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में जिला न्यायाधीश स्तर से निम्न अर्थात व्यवहार न्यायाधीश स्तर के नीचे दी गई सारणी में, अनुक्रमांक 4, 5 एवं 6 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा इससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

सारणी

अनु.क्र.	जिला	न्यायिक अधिकारी (सिविल न्यायाधीश स्तर)
(1)	(2)	(3)
"4.	ग्वालियर	श्री सक्षम नरूला, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, ग्वालियर।
5.	रीवा	श्री दयाल सिंह सूर्यवंशी, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, रीवा।
6.	बुरहानपुर	श्री राजू पन्द्रे, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, बुरहानपुर।"।

F.No. 1843/XXI-B(1)/2025- In exercise of the powers conferred by section 3 of Commercial Courts Act, 2015 (No. 4 of 2016) the State Government with the concurrence of Hon'ble the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in this Department's Notification F.No.17(E) 17-2016-XXI-B (1) 2311/2019 dated 05th May, 2019, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 17th May, 2019, Namely:-

AMENDMENT

In the said notification, in the table, for serial number 4, 5 and 6 for (civil Judge Level) and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

2.....

TABLE

S.No.	District	Name of the Judge (District Judge Level)
(1)	(2)	(3)
"4.	Gwalior	Shri Saksham Narula, III rd Civil Judge, Senior Division, Gwalior.
5.	Rewa	Shri Dayal Singh Suryawanshi, IV th Civil Judge, Senior Division Rewa.
6.	Burhanpur	Shri Raju Pandre, III rd Civil Judge, Senior Division, Burhanpur.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(नरेन्द्र प्रताप सिंह) प्रमुखं सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पृ० क्र० २७३०/२१-ब्(एक) /२०२५ प्रतिलिपि:- भोपाल,दिनांक 27/06/2025

रिजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के पत्र क्रमांक C/3063/II-4-1/2010, दिनांक 25.04.2025 के संदर्भ में,

2. प्रमुख सचिव, म0 प्र0 शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय, भोपाल,

3. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर, रीवा एवं बुरहानपुर (म०प्र०), की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

4. उप नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर (म0 प्र0 राजपत्र के भाग-1 के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ) प्रेषित।

5. शाखा प्रभारी, आय0 टी0 शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड करने बाबत प्रेषित।

🗸 (अनिल कुँमार पाँठक)

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

<u>मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग</u> <u>अधिसूचना</u>

भोपाल, दिनांक 27/06/2025

फा० क्र० 2731/21-ब(एक) /2025- कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, 2015 (2016 का 4) की धारा 3 द्वारा प्रदल्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति की सहमित से, एतद् द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा.क्र17(ई)17-2016-इक्कीस-ब(एक)-2311-2019,दिनांक 05 मई, 2019, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1, दिनांक 17 मई, 2019 में प्रकाशित की गई थी, के आलोक में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-

<u>संशोधन</u>

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, व्यवहार न्यायाधीश स्तर से के नीचे दी गई सारणी में, अनुक्रमांक 7 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा इससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

सारणी

अनु.क्र.	जिला	न्यायिक अधिकारी (व्यवहार न्यायाधीश स्तर)
(1)	(2)	(3)
"7.	सिंगरौली	श्री विशाल रिछारिया, षष्टम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, सिंगरौली।"।

F.No. 2526/XXI-B(1)/2025- In exercise of the powers conferred by section 3 of Commercial Courts Act, 2015 (No. 4 of 2016) the State Government with the concurrence of Hon'ble the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in this Department's Notification F.No.17(E) 17-2016-XXI-B (1) 2311/2019 dated 05th May, 2019, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 17th May, 2019, Namely:-

AMENDMENT

In the said notification, in the table, for **Civil Judge Level**, for serial number 7 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

AR (checker)

ylawot

2816175

Reg. 76)

2.....

TABLE

S.No.	District	Name of the Judge (Civil Judge Level)
(1)	(2)	(3)
"7.	Singrauli	Shri Vishal Richhariya, VI th Civil Judge, Junior Division, Singrauli.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

/ (नरेन्द्र प्रताप सिंह) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पृ० क्र0 2731/21-ब(एक) /2025 प्रतिलिपि:- भोपाल,दिनांक 27/06/2025

- रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के पत्र क्रमांक C/3086/II-4-1/2010, दिनांक 26.04.2025 के संदर्भ में,
 - 2. प्रमुख सचिव, म0 प्र0 शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
 - 3. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली (म0प्र0), की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
 - 4. उप नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर (म0 प्र0 राजपत्र के भाग-1 के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ) प्रेषित।
 - 5. शाखा प्रभारी, आय0 टी0 शांखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड करने बाबत प्रेषित।

्र (अनिल कुमार पाठक) सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग